

National Physical Laboratory  
Dr. K.S. Krishnan Marg,  
New Delhi – 12

No.2/13/2014-Vig.(PR)

Dated : 13.10.2015


**CIRCULAR**

Subject : Declaration of Assets & Liabilities under Section 44 of the Lokpal & Lokayuktas Act, 2013 – reg.

In pursuance of DOPT OM No.407/12/2014-AVD-IV(B) dated 11.10.2015, it is brought to the kind notice of all Group A,B & C officer/officials of CSIR-NPL that the last date of filing of Revised Returns has now been further extended from 15<sup>th</sup> October, 2015 to 15<sup>th</sup> April, 2016.

- i. The first return (as on 1<sup>st</sup> August, 2014) (as was initially required to be filed by 15<sup>th</sup> September, 2014) can now be filed by 15<sup>th</sup> April, 2016.
- ii. The annual return (as on 31<sup>st</sup> March, 2015)(as was initially required to be filed by 31<sup>st</sup> July, 2015), can now be filed by 15<sup>th</sup> April, 2016.
- iii. The subsequent annual returns (as on 31<sup>st</sup> March of each year) are required to be filed by 31<sup>st</sup> July of that year.

The forms are available in NPL intranet as word document. The returns may be submitted to Section Officer (Vigilance) in Room No.216 Main Building within the stipulated date.



( V.K. Kaushika )

Controller of Administration

Copy to :

1. PA to DNPL
2. All Divisional/Section Heads – as per list attached
3. PA to COA
4. PA to AO(I) & AO(II)
5. Head, Computer Facility – with the request to place the circular and proformae in NPL intranet.
6. Section Officer EII – with the request to ensure that proformae under CCS(Conduct) Rules, 1964 and Lokpal & Lokayukt Act, 2013 are filled up for each new entrant to NPL service
7. All notice boards in NPL



सी एस आई आर – राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला  
डा. के. एस. कृष्णन् मार्ग, नई दिल्ली-110012

संख्या : 2/13/2014-सतर्कता (पीआर)

दिनांक : 13.10.2015

परिपत्र

विषय : केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013- प्रत्येक वर्ष लोक सेवक द्वारा परिसंपत्तियों (**Assets**) और देयताओं (**Liabilities**) की घोषणा प्रस्तुत करने के बारे में

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग OM No.407 / 12/ 2014- AVD - चतुर्थ (बी) दिनांक 11.10.2015, के अनुसरण में यह सीएसआईआर- एनपीएल के सभी ग्रुप ए, बी और सी अधिकारी / अधिकारियों की जानकारी में लाया जाता है कि रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को संशोधित कर 15 अक्टूबर 2015 से बढ़ा कर अब आगे 15 अप्रैल 2016 कर दी गई है

- i) प्रथम रिटर्न (1 अगस्त, 2014 को) (शुरू में 15 सितम्बर, 2014 को दायर किया जाना आवश्यक था) को अब 15 अप्रैल 2016 तक दाखिल किया जा सकता है ।
- ii) वार्षिक रिटर्न (31 मार्च, 2015 को) (शुरू में 31 जुलाई, 2015 को दाखिल किया जाना आवश्यक था) को अब 15 अप्रैल 2016 तक दाखिल किया जा सकता है ।
- iii) बाद में वार्षिक रिटर्न (प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को) उस वर्ष के 31 जुलाई तक दाखिल किए जाने की आवश्यकता है ।

फार्म एन पी एल इंटरनेट पर वर्ड डाक्यूमेंट में उपलब्ध हैं । रिटर्नस् अनुभाग अधिकारी (सतर्कता) कमरा न. 216, मेन बिल्डिंग में नियत तिथि पर जमा कर दें ।



(विजय कुमार कौशिक)  
प्रशासन नियंत्रक

प्रति :-

1. निदेशक, एन पी एल के निजी सहायक
2. सभी प्रभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष – संलग्न सूची के अनुसार
3. प्रशासन नियंत्रक के निजी सहायक
4. प्रशासनिक अधिकारी के निजी सहायक
5. प्रमुख, कंप्यूटर सुविधा को इस अनुरोध सहित कि परिपत्र व प्रोफार्मा को एन पी एल इंटरनेट पर प्रदर्शित करें।
6. अनुभाग अधिकारी, ई-2 को इस अनुरोध सहित कि वे एन पी एल की सेवा में आए प्रत्येक नए प्रवेशक (सदस्य) से सीसीएस (आचरण) नियमावली 1964 और लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत जारी प्रोफार्मा को भरवाया जाना सुनिश्चित करें ।
7. एन पी एल में सभी सूचना पट्ट